



115

न्यायालय श्रीमान राजस्व महोदय ग्वालियर म.प्र.

केस नं. 37/13

प्र.क्र. R-3872-2/13

27/8/2013
राजेश जयसवाल
27.8.13
महोदय महोदय
न्यायालय

अजमल उर्फ अज्जू पिता मुन्नालाल, जाति बंजारा, उम्र 35 वर्ष, धंधा-कृषि, निवासी-ग्राम धासड़ तहसील सतवास, जिला देवास (म.प्र.)
.....आवेदक/प्रतिप्राथी क्र. 1

विरुद्ध

1. भीका पिता जवाहरसिंह, जाति बंजारा, आयु 50 वर्ष, धंधा-कृषि, निवासी-ग्राम पोखरखुर्द, तहसील सतवास, जिला देवास (म.प्र.)
2. अनार पिता अमरसिंह, आयु-65 वर्ष धंधा-कृषि, निवासी-ग्राम धांसड़, तहसील सतवास, जिला देवास (म.प्र.)

.....अनावेदक/प्राथी

356
27/8/2013
R-17943
7-10-13

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील सतवास के प्रकरण क्रमांक 02अ/13/12-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.08.2013 जिसके तहत अंतरिम रूप से रास्ता खुला करने बाबत का आदेश पारित किया गया है, जिससे असंतुष्ट एवं व्यथित होकर उक्त निगरानी संक्षेपिका सहित निम्न आधारों पर प्रस्तुत है -

// प्रकरण का संक्षिप्त विवरण //

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रतिप्राथी क्रमांक 1 द्वारा आवेदनकर्ता एवं प्रतिप्राथी क्रमांक 2 के विरुद्ध एक आवेदन पत्र धारा 131, 132 म. प्र. भू राजस्व संहिता के तहत उसके साथ अंतरिम आवेदन धारा 32 म. भू राजस्व संहिता के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, उसकी ग्राम खारिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 370/1 में आने-जाने का रास्ता प्रतिप्राथी क्रमांक


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3872-एक/13

जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	